



झारखण्ड गजट

असाधारण अंक

झारखण्ड सरकार द्वारा प्रकाशित

28 अग्रहायण, 1944 (श०)

संख्या - 595 राँची, सोमवार, 19 दिसम्बर, 2022 (ई०)

मंत्रिमण्डल सचिवालय एवं निगरानी विभाग (समन्वय)

संकल्प

16 दिसम्बर, 2022

विषय:- झारखण्ड भवन, नई दिल्ली के नियमित पदाधिकारियों/ कर्मचारियों को विशेष दिल्ली भत्ता की स्वीकृति के संबंध में ।

संख्या-04/म०म०स० (झा०भ०स्था०).03/2022.....1504--प्रधान स्थानिक आयुक्त, झारखण्ड भवन, नई दिल्ली द्वारा सूचित किया गया है कि झारखण्ड भवन, नई दिल्ली की कार्य प्रकृति भिन्न है। प्रोटोकॉल अतिविशिष्ट/विशिष्ट महानुभावों के आवागमन तथा विभिन्न केन्द्रीय मंत्रालय एवं दिल्ली स्थित अन्य कार्यालय आदि से समन्वय का कार्य करना तथा आपातकालीन स्थिति यथा कोविड-19 आदि के समय कार्यालय अवधि से अधिक देर रात तक एवं अवकाश के दिनों में भी प्रायः पदाधिकारी/कर्मचारी कार्यालय में उपस्थित रह कर कार्य का निष्पादन करते हैं ।

2. दिल्ली महानगर होने के कारण यहाँ जीवन-यापन लागत अधिक होती है। सरकारी आवास उपलब्ध नहीं होने के कारण पदाधिकारीगण/कर्मचारीगण को अधिक दूरी से आना जाना पड़ता है जिससे आवागमन पर लागत अधिक आती है तथा मकान किराया भी अत्यधिक व्यय करना पड़ता है। उक्त स्थिति में अधिक व्यय के लिए सरकार की तरफ से किसी प्रकार का अतिरिक्त भत्ता नहीं दिया जाता है। दिल्ली स्थित अन्य राज्यों के द्वारा पदस्थापित पदाधिकारियों/कर्मचारियों को विशेष भत्ता दिया जा रहा है।

3. फलतः सम्यक विचारोपरांत कंडिका -1 एवं 2 में उल्लिखित विशेष परिस्थितियों के मद्देनजर राज्य सरकार द्वारा झारखण्ड भवन, नई दिल्ली में नियमित रूप से कार्यरत राज्य सेवा संवर्ग तथा Class-II, वर्ग-3 एवं वर्ग-4 के पदाधिकारियों/कर्मचारियों को मूल वेतन का 15 (पन्द्रह) प्रतिशत "विशेष दिल्ली भत्ता" स्वीकृत करने का निर्णय लिया गया है।

4. यह आदेश संकल्प निर्गत की तिथि से प्रभावी होगी।

झारखण्ड राज्यपाल के आदेश से,

वंदना दादेल,
सरकार के प्रधान सचिव।
